न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 7337 / 2001 / जिला अजमेर

1- शंकर सिंह पुत्र भंवर सिंह
2- महेन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र कल्याणसिंह **(नाम तक)**
3- श्रीमती सायरकंवर पत्नी हेमसिंह
4- श्रीमती भंवरकंवर पत्नी बोदूसिंह
5- उगरसिंह पुत्र बोदूसिंह
6- कानसिंह दत्तक पुत्र भारतसिंह
7- नरसिंह पुत्र छोटूसिंह
8- मूलसिंह पुत्र देवीसिंह
9- मंगेजसिंह पुत्र देवीसिंह
10- चावण्ड सिंह पुत्र नाथूसिंह
11- मोहनसिंह पुत्र नाथूसिंह
12- प्रहलादसिंह पुत्र मांगीसिंह
13- रघुवीर सिंह पुत्र मांगीसिंह
14- लकपतसिंह पुत्र खेतानसिंह

15- भाकरसिंह (मृतक) पुत्र सुगनसिंह जरिये कायम मुकाम :-
- 15/1- नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भाकरसिंह
- 15/2- चेनसिंह पुत्र स्व0 भाकरसिंह
- 15/3- बिजूसिंह पुत्र स्व0 भाकरसिंह
- 15/4- तोप कंवर पत्नि स्व0 भाकरसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी अरडका जिला अजमेर ।

16- रतनसिंह पुत्र नाहरसिंह
17- दुर्जनसिंह पुत्र नाहरसिंह
18- ब्रहराजसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
19- दशरथसिंह पुत्र भंवरसिंह
20- बजरंगसिंह (मृतक) पुत्र रामसिंह जरिये वारिसान :-
- 20/1- दयालसिंह पुत्र बजरंगसिंह
- 20/2- करणसिंह पुत्र बजरंगसिंह

21- मनोहरसिंह पुत्र मोतीसिंह
22- सुमेरसिंह पुत्र गंगासिंह

23- कल्याण सिंह (मृतक) पुत्र छगनसिंह जरिये वारिसान :-
- 23/1- बहादुर सिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह
- 23/2- पन्नेसिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह
- 23/3- तेजसिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह
- 23/4- दीपसिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह
- 23/5- मु0 भंवर कंवर पत्नि स्व0 कल्याण सिंह

सभी जाति राजपूत निवासी अरडका जिला अजमेर ।

24- दातारसिंह पुत्र भंवरसिंह
25- विजेन्द्रसिंह पुत्र नन्दसिंह
26- सुरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दसिंह
27- केसरसिंह पुत्र उमरावसिंह
28- समुन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
29- किशोरसिंह पुत्र गणपतसिंह
30- नाथूसिंह पुत्र पदमसिंह
31- उम्मेदसिंह पुत्र पदमसिंह
32- मदनसिंह पुत्र गणपतसिंह

33- नारायणसिंह (मृतक) पुत्र हरीसिंह जरिये वारिसान :-
33/1- रघुवीरसिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह, जाति राजपूत निवासी अरडका जिला अजमेर ।

34- नारायणसिंह पुत्र अनोपसिंह
35- लक्ष्मणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
36- सरदारसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
37- रोड़सिंह पुत्र ईश्वरसिंह
38- सायरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
39- श्रीमती सज्जनकंवर पत्नि घीसूसिंह **(नाम तर्क)**
40- प्रभूसिंह पुत्र घीसूसिंह
41- श्रीमती सोभागकंवर पत्नी नारायणसिंह
42- आनन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह
43- श्रीमती मोहनकंवर (मृतक) पत्नी सोहनसिंह **(नाम तर्क)**
44- माधोसिंह पुत्र देवीसिंह

45- आसूसिंह (मृतक) पुत्र शैतानसिंह जरिये वारिसान :-
45/1- नाथूसिंह पुत्र स्व0 आसूसिंह
45/2- भवानी सिंह पुत्र स्व0 आसूसिंह
45/3- गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 आसूसिंह
सभी जाति राजपूत निवासी अरडका जिला अजमेर ।

46- अजयपालसिंह पुत्र शिशुपालसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी अरडका तहसील व जिला अजमेर ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1- मु0 गोगीदेवी सरपंच ग्राम पंचायत बाबयचा पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर ।
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
3- नायब तहसीलदार, तहसील अजमेर ।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ
श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य
श्री मदन मोहन शर्मा, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोकनाथ, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री दुनीचन्द, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1

श्री आर.के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-2 व 3

दिनांक : 20 मार्च, 2013

निर्णय

1- हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 25-10-2001 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने प्रत्यर्थी संख्या-2 एवं 3 / प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक जिलाधीश, अजमेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षिप्त में अधिनियम) के अन्तर्गत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा संख्या-248 मिन वादीगण एवं उनके पूर्वजों के खातेदारी की कृषि भूमि है जिसके हाल खसरा संख्या-397 से 399 बने । जिनमें से खसरा संख्या-397 व 399 की खातेदारी वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज है, लेकिन खसरा संख्या-398 रकबा 2 बीघा को हाल वर्किंग जमाबन्दी में वादीगणों के अधिकारों के विपरीत अवैधानिक तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है एवं हाल भू संशोधन नक्शे के अनुसार खसरा संख्या-397 एवं 399 के मध्य खसरा संख्या-398 में रास्ता दर्शाया गया है । जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है । वादीगण ने अपनी आराजी पर चारो तरफ चार दीवारी बना रखी है । अतः अपीलार्थीगण / वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या-398 रकबा 2 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं भू संशोधन नक्शे सन् 1970-71 में दुरूस्ती करायी जावे एवं प्रतिवादीगण को वांछित स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

3- प्रत्यर्थी संख्या-2 व 3 / प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में अभिवचित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या-248 का रकबा 197 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी था एवं पूरा रकबा कभी भी वादीगण की खातेदारी में नहीं रहा । आराजी खसरा संख्या-248 में से रास्ता चलता था, इसलिये सेटलमेन्ट ने मौके के अनुसार नक्शे में रास्ता बताया गया है । आम रास्ता होने के कारण हाल आराजी खसरा संख्या-398 की खातेदारी वादीगण को प्रदान नहीं की जा सकती है ।

4- तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण / वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-3-1997 द्वारा स्वीकार किया । जिस निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-3-1997 से व्यथित होकर ग्राम पंचायत ने प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की । उक्त प्रथम अपील विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-10-2001 द्वारा स्वीकार कर, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-3-1997 को निरस्त किया । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 25-10-2001 को पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

6- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का कथन है कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा संख्या-398 साबिक खसरा संख्या-248 का भाग है । लेकिन खसरा संख्या-398 अविधिक रूप से सिवायचक दर्ज कर रास्ते के रूप में अंकित कर दिया गया है । विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद स्वीकार करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है बल्कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत बबायचा को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होते हुये भी अविधिक रूप से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को अवैधानिक तौर से निरस्त किया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-41 नियम-27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को भी निस्तारित नहीं किया है एवं अभिवचनों के परे जाकर निर्णय पारित किया है। निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः-

(1) 1998(5) आर.बी.जे. पृष्ठ-137
(2) 1997 डी.एन.जे. (राजस्थान) पृष्ठ-271
(3) 1997 डी.एन.जे. (राजस्थान) पृष्ठ-738
(4) 1998 आर.बी.जे. पृष्ठ-137
(5) 2009(1) आर.आर.टी. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ठ-175
(6) 1988 आरआरडी पृष्ठ-143
(7) 1990 आरआरडी पृष्ठ-364
(8) 2002(1) आर.आर.टी. पृष्ठ-420
(9) 2006 आर.आर.टी. पृष्ठ-5 एवं 19
(10) 2009(16) आर.बी.जे. पृष्ठ-323
(11) 2010(1) आर.आर.टी. पृष्ठ-118

7- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 का कथन है कि चूंकि आराजी खसरा संख्या-398 सिवायचक रास्ता है जिस रास्ते का उपयोग करने का अधिकार प्रत्येक ग्रामवासी का है । अतः ग्राम पंचायत को अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । उनका यह भी कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-41 नियम-27 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रलेखों को निर्णय का आधार बनाया है । अपीलार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार नहीं है । निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

8- विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-2 व 3 ने ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कथनों से असहमत होते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सिवायचक रास्ते के रूप

में दर्ज है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती है । निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

9- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

10- पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि प्रदर्श-4 सन् 1315 की फसली जमाबन्दी के अनुसार अपीलार्थीगण के खाते में मात्र 186 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी आराजी दर्ज होना उल्लेखित है । अपीलार्थीगण द्वारा आराजी खसरा संख्या-248 के भाग को विवादित किया गया है । इस संबंध में प्रदर्श-6 नकल फर्द मुताबकत के अवलोकन से आराजी खसरा संख्या-248 मिन का कुल रकबा 197 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी होना दर्ज है एवं यह तथ्य निर्विवादित है कि पूर्व में आराजी खसरा संख्या-134 एवं 135 रकबा क्रमशः 10 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 175 बीघा 5 बिस्वा एवं 3 बिस्वांसी को आराजी खसरा संख्या-248 मिन में परिवर्तित किया गया था । अपीलार्थीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण जमाबन्दी में दर्ज 186 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी आराजी पर काबिज है । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह भी कथन नहीं है कि साबिक आराजी खसरा संख्या एवं हाल खसरा संख्या की तुलना में अपीलार्थीगण को साबिक खसरा की अपेक्षा कम आराजी प्राप्त हुई है । अतः अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज सम्पूर्ण रकबा उसके कब्जे में होते हुये भी अपीलार्थीगण द्वारा अतिरिक्त 2 बीघा की खातेदारी की मांग करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

11- वर्तमान में आराजी खसरा संख्या-398 को रास्ते हेतु प्रयोग में लिया जा रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों से भी होती है एवं आम रास्ते की भूमि की खातेदारी अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत प्रदान किया जाना निषिद्ध है । अतः उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य निर्णय से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-3-1997 को निरस्त करने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है ।

12- चूंकि आराजी खसरा संख्या-398 का उपयोग सार्वजनिक रास्ते के रूप में लिया जा रहा है एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि को लेकर निजी व्यक्ति भी वाद प्रस्तुत कर सकता हैं । अतः ग्राम पंचायत को प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अधिकार मानने में प्रथम अपीलीय न्यायलय ने किसी प्रकार की अवैधानिकता कारित नहीं की है ।

13- जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश-41 नियम-27 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित नहीं करने का प्रश्न है । इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के चरण संख्या-12 में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-41 नियम-27 में वर्णित जवाबदावा एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति पर अपना सम्यक् विवेचन एवं विषलेषण के उपरान्त अपना निर्णय पारित किया है । इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-41 नियम-27 में वर्णित प्रलेखों के गुणावगुण पर विचार आलोच्य निर्णय में किया है । यद्यपि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित करने का शाब्दिक उपयोग आलोच्य निर्णय में नहीं किया है, परन्तु विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रलेखों पर

प्रत्यक्षतः अपना मत व्यक्त कर गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त निर्णय पारित किया है । अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिलेखों के गुणावगुण पर अपना मत व्यक्त करने के उपरान्त निर्णय पारित करना एवं उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के औपचारिक अंकन के अभाव में मात्र इस तकनीकी आधार पर ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि तकनीकी आधार मात्र पर ही सारवान् न्याय की उपेक्षा किया जाना विधिसम्मत् नहीं है ।

14- चूंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विनिश्चय का आधार, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों पर अवलम्बित है । अतः विद्वान अभिभाषक अपलार्थीगण का कथन कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है, स्वीकार्य नहीं है । अतः उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से उन्हें कोई अवलम्बन प्राप्त नहीं होता है ।

15- परिणामतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई सारवान एवं समुचित कारण प्रकट नहीं होने से हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

16- निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर निरस्त. की जाती है एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-10-2001 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदन मोहन शर्मा)
सदस्य

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य